न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी - पंकज गढ़वाल आर.ऐ.अस.

वाद पत्र सं. 07/2020

निर्णय दिनांक 25.3.21

1.गोदावरी देवी पुत्री सदाराम जाति जांगिड निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

2.चमेली पुत्री अर्जुनराम जाति जांगिड निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

3.प्रमेश्वरी पुत्री अर्जुनराम जाति जांगिड निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1.बोगां पत्नी सदाराम जाति जांगिड निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

2.प्रताप पुत्र अर्जुनराम जाति जांगिड निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

3.हजारी पुत्र अर्जुनराम जाति जांगिड निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

4.महेंद्र पुत्र अर्जुनराम जाति जांगिड निवासी देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू

5.श्रीमान तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला चूरू

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट / धारा 136 राज.भू-राजस्व अधिनियम ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

उपस्थिति - 1.श्री चन्द्रभान पु॰रिया एडवोकेट वास्ते - वादी

2.श्री मनोज कडवासरा एडवोकेट वास्ते - प्रतिवादी संख्या 1 से 4

3.पैरोकार राज - राज्य की ओर से

निर्णय

वाद से सम्बंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं वादी ने यह वाद अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट / धारा 136 राज.भू-राजस्व अधिनियम इस आशय का पैश किया कि कृषि भूमि गत खसरा नं. 83 तादादी 46 बीघा रोही कालोड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू जिसके हाल पैमाइश में खसरा नं. 200 तादादी 10.88 हैक्टेयर, खसरा नं. 252 तादादी 0.19 हैक्टेयर कुल तादादी 11.07 हैक्टेयर रोही कालोड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू व गत खसरा नं. 59 तादादी 27-08 बीघा रोही देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू जिसके हाल पैमाइश में खसरा नं. 78 तादादी 7.00 हेक्टेयर रोही देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू पैमुद हुये है में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा व वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि ही विवादित कृषि भूमि है, विवादित कृषि भूमि रोही कालोड़ी में वादिनी सं. 1 के पिता सदाराम 1/4 हिस्सा के व रोही देवीपुरा में भी 1/4 हिस्सा के खातेदार थे, वादिनी सं. 1 के पिता का स्वर्गवास वादिनी के बचपन में ही हो गया था तथा वादिनी के पिता के स्वर्गवास के बाद वादिनी की माता प्रतिवादी सं. 1 का नाता विवाह उसके देवर व वादिनी सं. 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं. 2 से 4 के पिता अर्जुनराम के साथ कर दिया गया व उक्त अर्जुनराम के नुत्फे से प्रतिवादी सं. 1 के वादिनी सं. 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं. 2 से 4 पैदा हुये व वादिनी के पिता सदाराम के स्वर्गवास के बाद उनके हिस्से की भूमि में वादिनी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 ब.ही.ब. विरासतन खातेदार दर्ज होनी चाहिये थी मगर तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों ने उक्त सदाराम की एक मात्र उतराधिकारी प्रतिवादी सं. 1 को मानकर उसी के नाम विरासतन नामान्तरकरण दर्ज कर दिया व उक्त अर्जुनराम के स्वर्गवास के बाद वादिनी सं. 1 को भी अर्जुनराम की पुत्री गलत रूप से दर्ज करते हुये उक्त अर्जुनराम के हिस्से में विरासतन वादिनी सं. 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं. 2 से 4 के साथ ब.ही.ब. उत्तराधिकारी दर्ज कर दिया व उक्त विरासतन नामान्तरकरण सं. 44 ग्राम देवीपुरा व

नामान्तरकरण सं. 40 ग्राम कालोड़ी में वादिनी सं. 1 का नाम गोदावरी के स्थान पर संतली पुत्री अर्जुन व वादिनी सं. 2 का नाम चमेली के स्थान पर भीमली व वादिनी सं. 3 का नाम प्रमेश्वरी की जगह मणकली अशुद्ध रूप से दर्ज कर दिया गया । जबकि वादीनियों के नाम अन्य सभी राजकीय दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता सूचि, पेन कार्ड आदि शुद्ध रूप से क्रमशः गोदावरी पुत्री सदाराम, चमेली पुत्री अर्जुनराम, प्रमेश्वरी पुत्री अर्जुनराम दर्ज चला आ रहा है व वादीनियों को घर में क्रमशः संतली, भीमली व मणकली के नाम से भी पुकारा जाता है जिस कारण विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनियों का नाम विरासतन नामान्तरकरण दर्ज करते समय घरेलु नाम बता दिया गया जिस कारण उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनियों का नाम अशुद्ध रूप से दर्ज कर दिया गया जिससे वादीनियों की सख्त हक़ तलफी हुई है तथा वादिनियां विवादित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा वादिनी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 की ब.ही.ब. खातेदारी की व वादिनी सं. 1 का नाम व वल्दियत संतली पुत्री अर्जुन के स्थान पर गोदावरी पुत्री सदाराम व वादिनियों व प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि वादिनी सं. 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं. 2 से 4 की ब.ही.ब. खातेदारी की व वादिनी सं. 2 का नाम भिमली के स्थान पर चमेली व वादिनी सं. 3 का नाम मणकली के स्थान पर प्रमेश्वरी नाम विवादित कृषि भूमि की जमाबंदियो में भी अशुद्ध रूप से दर्ज चला आ रहा है घोषित करवाने की अधिकारी हैं जिसके लिये यह शुद्धी का वाद पत्र पैश किया जाना आवश्यक हो गया है, वादीनियों ने प्रतिवादीगण को काफी कहा व कि वे विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनियों का हिस्सा व नाम शुद्ध घोषित करवा कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर देवे मगर प्रतिवादीगण ने एसा मानने से दिनांक 26.12.2019 को बमुकाम देवीपुरा स्पष्ट इन्कार कर दिया जिस कारण इसी दिन से वादी को वाद कारण व वादाधार हासिल है आदि आदि पैश किया, प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने मय वकील हाजिर अदालत होकर इकबाल दावा पैश किया, प्रतिवादी संख्या 5 ने वाद में कोई राज्य हित नहीं होना जाहिर किया है वाद का कोई खंडन पेश नहीं हुआ है अतः साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण ने अपने

प्रमाणित प्रतिलिपियाँ पैश कि है इस तथ्य के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने इकबाल दावा पैश किया है । प्रस्तुत वाद इकबाल दावा व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित पाये जाने से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का यह वाद अंतर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट / धारा 136 राज.भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 200 तादादी 10.88 हैक्टेयर, खसरा नं. 252 तादादी 0.19 हैक्टेयर कुल तादादी 11.07 हैक्टेयर रोही कालोड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू व हाल खसरा नं. 78 तादादी 7.00 हेक्टेयर रोही देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा के वादिनी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 ब.ही.ब. के खातेदार रहेंगे व वादिनी सं. 1 का नाम व वल्दियत संतली पुत्री अर्जुन के स्थान पर गोदावरी पुत्री सदाराम रहेगा व वादिनियों व प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि वादिनी सं. 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं. 2 से 4 की ब.ही.ब. खातेदारी की रहेगी व वादिनी सं. 2 का नाम भिमली के स्थान पर चमेली व वादिनी सं. 3 का नाम मणकली के स्थान पर प्रमेश्वरी रहेगा । खर्चा वाद पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

)आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी(

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम राजगढ़ जिला चूरू

ब इजलास पंकज गढ़वाल आर.ऐ.अस

गोदावरी आदि बनाम बोगां आदि

नम्बर मुक़दमा 07 सन 2020

वाद बाबत घोषणा

यह मुक़दमा आज वास्ते इनफिसाल रु-ब-रु हमारे--

बहाजरी 1.श्री चन्द्रभान कुलरिया एडवोकेट वास्ते - वादी

2.श्री मनोज कडवासरा एडवोकेट वास्ते - प्रतिवादी संख्या 1 से 4

3.पैरोकार राज - राज्य की ओर से

मिनजानिब व -------मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि घोषित किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 200 तादादी 10.88 हैक्टेयर, खसरा नं. 252 तादादी 0.19 हैक्टेयर कुल तादादी 11.07 हैक्टेयर रोही कालोड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरू व हाल खसरा नं. 78 तादादी 7.00 हेक्टेयर रोही देवीपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा के वादिनी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 ब.ही.ब. के खातेदार रहेंगे व वादिनी सं. 1 का नाम व वल्दियत संतली पुत्री अर्जुन के स्थान पर गोदावरी पुत्री सदाराम रहेगा व वादिनियों व प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि वादिनी सं. 2 व 3 तथा प्रतिवादी सं. 2 से 4 की ब.ही.ब. खातेदारी की रहेगी व वादिनी सं. 2 का नाम भिमली के स्थान पर चमेली व वादिनी सं. 3 का नाम मणकली के स्थान पर प्रमेश्वरी रहेगा । खर्चा वाद पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे ।चीज --

मुवलिंग -- बाबत-- खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह -- फीसदी सालाना

आज की तारीख से तारीख 25-3-2021

वसुलदावी तक --को अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख

माह सन को जारी की गयी।